

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक,
पालम रोड, दिल्ली छावनी 110010

(राजभाषा विभाग)

संख्या: 0746/हि.क./रा0भा0/आदेश/परिपत्र/जि.5

दिनांक : 12 मार्च, 2021

सेवा में,

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक /
रक्षा लेखा नियंत्रक/
प्रधान लेखा नियंत्रक(फै.)

विषय : वित्तीय वर्ष 2021-22 से केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम-काज राजभाषा हिंदी में करने के लिए दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नए पाठ्यक्रम पारंगत उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले मानदेय (पुरस्कार) लागू करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के दिनांक 08 जनवरी, 2021 के पत्र सं. सं.7/75/2014-हि.शि.यो(मु.)/80 के अंतर्गत प्राप्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 का का.जा. सं. 210234/69/2008-रा-भा.(प्रशि.) मार्गदर्शन एवं यथा अपेक्षित कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संलग्न : यथोपरि

(गणेश कुमार बरनवाल)

रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक (प्रशा.)

प्रतिलिपि सेवा में,

सूचना प्रद्योगिकी एवं प्रणाली कक्ष
(स्थानीय)

: वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।

(गणेश कुमार बरनवाल)

रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक (प्रशा.)

दूरभाष - 24361852

Tel - 24368158

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
सातवाँ तल, अन्तोदय भवन,
सी.जी.ओ.काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली.110003
दिनांक -

सेवा में,

उप निदेशक (मध्योत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पूर्वोत्तर),
हिंदी शिक्षण योजना,

नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नै, गुवाहाटी।

उप निदेशक(टंकण/आशुलिपि), 2ए पृथ्वीराज रोड/आर.के.पुरम, नई दिल्ली।

प्रभारी सहायक निदेशक के.हि.प्र. उप संस्थान

बंगलुरु, सिकंदराबाद।

विषय : वित्तीय वर्ष 2021-2022 से केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम-काज राजभाषा हिंदी में करने के लिए दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नए पाठ्यक्रम "पारंगत" उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले मानदेय (पुरस्कार) लागू करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर सूचित करना है कि पारंगत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली एकमुश्त प्रोत्साहन राशि को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। राजभाषा विभाग का तत्संबंधी दिनांक 21 दिसंबर, 2020 का कार्यालय ज्ञापन सं. 21034/69/2008-रा.भा. (प्रशि.) इस पत्र के साथ संलग्न है। साथ ही यह भी अनुरोध है कि इसे अपने क्षेत्राधीन सभी संबंधितों में परिचालित करें।

भवदीया,

S. M. L.
08.1.2021

(सुमन लाल)

संयुक्त निदेशक
कोश

संलग्नक : यथोपरि

प्रतिलिपि : 1. सहायक निदेशक, (भाषा, टंकण/आशुलिपि) के.हि.प्र.सं., नई दिल्ली।

2. सहायक निदेशक, श्री नरेंद्र कुमार प्रसाद (आशुलिपि/टंकण) - को इस निदेश के साथ कि राजभाषा विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञापन की प्रति संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें।

सं.21034/69/2008-रा.भा.(प्रशि.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक- 21 दिसम्बर, 2020

कार्यालय जापन


विषय - वित्तीय वर्ष 2021-2022 से केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम-काज राजभाषा हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नए पाठ्यक्रम "पारंगत" के अधीन प्रस्तावित मानदेय (पुरस्कार) लागू करने के संबंध में।

केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा "पारंगत" पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण आरंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से "पारंगत" पाठ्यक्रम को व्यापक व लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिकों को पारंगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर निम्नलिखित एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है -

(क) 55% से 59% अंक प्राप्त करने पर	4000/-रु.
(ख) 60% से 69% अंक प्राप्त करने पर	7000/-रु.
(ग) 70% से अधिक अंक प्राप्त करने पर	10,000/-रु.

2. उपरोक्त प्रोत्साहन संबंधी वित्तीय खर्च को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को ही वहन करना पड़ेगा।

3. यह कार्यालय जापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 17.12.2020 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या 14(2)ई.समन्वय 2015 (1526920) के अनुसार जारी किया जा रहा है।


(आनंद कुमार)
निदेशक (प्रशि.)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

.....जारी

प्रतिलिपि :-

1. गृह मंत्रालय एवं राजभाषा विभागों के सभी अधीनस्थ कार्यालय ।
2. सभी सघ शासित क्षेत्र ।
3. गृह मंत्रालय व राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/डेस्क ।
4. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
5. निदेशक(तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली । कृपया इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें ।
6. अवर सचिव (ई.कार्ड), ई.समन्वय अनुभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 17.12.2020 की अ.वि.ति.सं.14(2)ई.समन्वय 2015 (1526920) के संदर्भ में ।
7. अतिरिक्त 100 प्रतियां ।